

हड़ताल के अधिकार की रक्षा करो !

पी० राममूर्ति, एम० पी०
महासचिव सीटू

संसद के पिछले बजट अधिवेशन में हड़ताल के अधिकार
को छीनने के लिए पेश किये गये विधेयकों की समीक्षा



सीटू प्रकाशन

मूल्य : ६० पैसे

हड़ताल के अधिकार की रक्षा करो !

लोकसभा के पिछले अधिवेशन की समाप्ति के समय औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९८२ तथा ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक, १९८२ नामक दो विधेयक पेश किये गये। एक दूसरा विधेयक-चिकित्सालय तथा अन्य संस्थान (विवाद व्यवस्थापन) विधेयक राज्यसभा अधिवेशन के अन्तिम दिन छः मई को बहुत जल्दी-जल्दी में पेश किया गया। यह औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक डी० एम० के० और ए० डी० एम० के० को छोड़कर—जो कि इन्दिरा कांग्रेस के कृपाभाजन बनने के लिए एक-दूसरे से बाजी मार जाने की कोशिश कर रहे हैं, सम्पूर्ण विपक्ष के विरोध के बावजूद पेश किया गया है। यह सभी जानते हैं कि इससे पूर्व सितम्बर १९८१ में संसद ने “आवश्यक सेवा विधेयक” को अन्तिम रूप से पारित कर दिया था, बावजूद इसके कि इंटक को छोड़कर ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी विरोध किया, ५ लाख मजदूरों ने संसद पर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, तथा सम्पूर्ण विरोधपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया। इन चारों विधेयकों के माध्यम से मजदूर वर्ग पर कठोरतम हमला किया गया है, जिसका उद्देश्य है सरकार की जीहुजूरी न करने वाली ट्रेड यूनियनों को शक्तिहीन बना देना। सरकार के दुष्ट इरादों को समझने के लिए इन विधेयकों के असली अर्थ को समझना आवश्यक है।

एक प्रतिगामी कदम

इन विधेयकों ने भारतीय मजदूर वर्ग को तीन शताब्दी पूर्व के काल में ढकेल दिया है जबकि ब्रिटेन में कम्बीनेशन कानून (Combination Law) बनाया गया था। जब मजदूरों ने अपना ट्रेड यूनियन संगठन बनाना शुरू किया तो उन संगठनों को गैरकानूनी करार देते हुए यह कानून ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया था जिसके अनुसार ट्रेड यूनियन संगठन बनाने का कोई भी प्रयास एक अपराध था और जिसके लिए मृत्युदण्ड सहित कठोर-से-कठोर दण्ड दिया जा सकता था। मजदूरों को दसियों वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा जिसमें ट्रेड यूनियन संगठित कर सकने के अधिकार को जीतने के लिए बहुतों को फांसी पर चढ़ना पड़ा।

ट्रेड यूनियन अधिनियम की पृष्ठभूमि

ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि जैसे बहुत से औद्योगिक देशों में कोई ट्रेड यूनियन कानून नहीं है और न ही ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण होता है। ये केवल स्वैच्छिक संगठन हैं जिनके आन्तरिक मामलों में सरकार किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है।

भारत में ट्रेड यूनियन कानून की आवश्यकता उस समय पड़ी जब कि मद्रास उच्च न्यायालय ने सन १९२१ में बर्किंगम और करनाटिक मिल के प्रशासन द्वारा दायर किये गये मुकदमे में अपना कुख्यात फैसला दिया। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर मिल के मजदूरों ने एक शानदार हड़ताल संघर्ष छेड़ दिया था। मजदूर आन्दोलन में रुचि रखनेवाले बी शिवा राव, बी पी वाडिया, बी चक्र-चेटियर और बी कल्याणमुन्दर मदलिया आदि द्वारा मद्रास लेबर यूनियन का गठन इससे पूर्व ही हो चुका था। हड़ताल का संगठन इसी यूनियन ने किया था तथा यही नेतागण इसका नेतृत्व कर रहे थे। यह एक लम्बी हड़ताल थी, परन्तु अन्ततः तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने मजदूरों पर कई बार गोली चलाने सहित क्रूर दमन के द्वारा उस हड़ताल को कुचल दिया।

मिल-प्रशासन ने मद्रास उच्च न्यायालय में इन नेताओं के खिलाफ इस दलील के आधार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा दायर कर दिया कि वे हड़ताल के लिए जिम्मेदार थे तथा यदि हड़ताल न हुई होती तो उन्होंने मुनाफा कमाया होता। हड़ताल के कारण मुनाफे से हाथ धोना पड़ा। उच्च न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और नेताओं द्वारा प्रशासन को लाखों रुपये अदा करने का आदेश दिया।

इस प्रकार ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी जिसमें इस देश में कोई हड़ताल नहीं हो सकती थी। इस फैसले के बाद एक बहुत बड़ा आन्दोलन उठ खड़ा हुआ और तत्कालीन केन्द्रीय विधायिका में स्वर्गीय का० एन० एम० जोशी के प्रयासों से भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम १९२६ अस्तित्व में आया। इस अधिनियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और मजदूर वर्ग को संगठित होने तथा हड़ताल करने का अधिकार प्रदान किया।

प्रतिबन्ध थोपने की कोशिश

हड़ताल के अधिकार पर सबसे पहली बार प्रतिबन्ध केन्द्रीय विधान सभा में बम्बई के मिल-मालिकों वाले चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वर्गीय सर एच० पी० मोदी ने वेतन भुगतान अधिनियम में एक संशोधन के द्वारा लगाया। सन १९३४ में उन्होंने वेतन भुगतान अधिनियम में एक संशोधन इस

विधान के साथ पेश किया कि यदि मजदूरों का कोई समूह ऐसी किसी भी मांग के लिए कारखाने से गैरहाजिर होता है जो कारखाने में उनकी सेवा सम्बन्धी शर्तों से सम्बन्धित नहीं है तो उनका एक हफ्ते का वेतन काट लिया जायेगा। ब्रिटिश सरकार ने शीघ्र ही इस संशोधन विधेयक को स्वीकार कर लिया और उसे सरकारी विधेयक के रूप में पेश किया। परन्तु आज भी यह मोदी संशोधन विधेयक के नाम से जाना जाता है।

इस संशोधन का उद्देश्य साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन और स्वतन्त्रता संग्राम के बढ़ते हुए ज्वार की पृष्ठभूमि में हमदर्दी में एकजुटता के लिए होने वाली हड़ताल तथा राजनीतिक हड़तालों की सम्भावनाओं से मजदूरों को डराकर रोकना था। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भी केन्द्रीय विधान सभा में इस कानून का समर्थन किया था। स्वतन्त्रता के बाद कांग्रेस सरकार ने और भी प्रतिबन्ध लगाने शुरू किये।

इन प्रतिबन्धों में सबसे पहला औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ का निर्माण है जो कि स्वतन्त्रता के बाद भारतीय मजदूर वर्ग को कांग्रेसी हुकूमत का पहला उपहार था। इस अधिनियम के बनने से पहले मजदूर किसी भी समय हड़ताल कर सकते थे। इस अधिनियम ने सरकार को किसी भी उद्योग अथवा सेवा को आवश्यक सेवा घोषित करने का अधिकार दे दिया, और एक बार सरकार द्वारा आवश्यक सेवा घोषित हो जाने के बाद उस उद्योग के मजदूरों को हड़ताल से पूर्व १४ दिन की नोटिस सरकार और मालिक दोनों को देनी पड़ती है तथा नोटिस के समय में अथवा नोटिस से छः हफ्ते के बाद हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। इस तरह से की गयी कोई भी हड़ताल गैरकानूनी होगी।

घोषित लक्ष्य—मात्र एक धोखा

पिछले ३५ वर्षों के अनुभव ने इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दिया है कि “यह अधिनियम मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है” यह दावा मात्र धोखा था।

मौजूदा विधेयकों तथा आवश्यक सेवा अधिनियम का गहराई से विवेचन यह स्पष्ट दिखाता है कि पहले की तरह इन विधेयकों के घोषित लक्ष्य भी मात्र बात-की-बात हैं। सच्चाई तो यह है कि मजदूरों ने अपने शानदार संघर्षों के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत से जो जीतें हासिल की थीं उन्हें वर्तमान इन्दिरा सरकार इन कानूनों और विधेयकों के माध्यम से छीन लेना चाहती है।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक क्या देता है

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक के उद्देश्य तथा कारण सम्बन्धी

बयान के अनुसार इन विधेयकों का उद्देश्य औद्योगिक विवादों को शीघ्र निपटाने को सुनिश्चित बनाना तथा कुछ अन्य संशोधन करना है। वास्तव में इस विधेयक से विवाद निपटाने में और भी देरी होगी। अधिनियम में एक नया अध्याय II (बी) जोड़ा जा रहा है।

इस अध्याय के प्रावधानों के तहत हर उस कारखाने का मालिक जिसमें १०० से अधिक मजदूर काम करते हों, एक शिकायत निपटारा अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो व्यक्तिगत मजदूरों से सम्बन्धित विवादों को देखेगा। इस प्रक्रिया से गुजरे बिना ऐसे मामलों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी।

जब यह अधिकारी स्वयं प्रशासन के द्वारा नियुक्त किया जायगा और इस प्रकार वह प्रशासन का एक कर्मचारी होगा तो उस अधिकारी से किस तरह का न्याय प्राप्त किया जा सकेगा इसका अनुमान बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है।

सरकार निरंकुश अधिकार चाहती है

शिकायत निपटारा अधिकारी की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही सरकार हस्तक्षेप करने अथवा न करने का फैसला करेगी। औद्योगिक विवाद अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत स्वयं यह विधान है कि जब सरकार किसी विवाद को मध्यस्थता अथवा बाद में अधिनिर्णय के लिए भेजती है तो मामलों के विचाराधीन रहते समय की गयी कोई भी हड़ताल गैरकानूनी होती है। अब ये कार्यवाहियां महीनों-महीनों के लिए लटकायी जा सकती हैं। अधिनियम में इस प्रक्रिया की समाप्ति का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, परन्तु यह कहा गया है कि प्रत्येक मामले में जब विवाद न्यायाधिकरण अथवा श्रम न्यायालय में भेजा जायेगा तो सरकार उसकी प्रक्रिया को समाप्त करने की अवधि निश्चित करेगी। फिर भी इस अनुच्छेद का उपबन्ध कहता है कि यदि दोनों पार्टियां एक साथ अथवा अकेले ही न्यायाधिकरण अथवा श्रम न्यायालय से सम्पर्क करें तो वह जितना भी समय उचित समझे उसके कारणों को दर्ज करते हुए बढ़ा सकता है। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रशासन मजदूरों की असुविधा के लिए इस उपबन्ध का इस्तेमाल करेंगे और कार्यवाहियां अनिश्चित समय तक लम्बी खींची जायेंगी। मजदूरों के हाथ-पैर बंध जायेंगे और वे इस पूरे दौर में हड़ताल नहीं कर सकेंगे।

एक नये प्रावधान के अनुसार “सम्बन्धित सरकार यदि समझती है कि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठानों के पूरे वर्ग अथवा स्वयं उस सरकार के नियन्त्रण वाले प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए जांच-पड़ताल तथा औद्योगिक विवाद के लिए समुचित व्यवस्था मौजूद है तो वह ऐसे प्रतिष्ठानों को

सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करके सशर्त अथवा बिना शर्त अधिनियम के सभी अथवा किसी प्रावधान के दायरे से बाहर रख सकती है।”

दूरगामी परिणाम

इस प्रावधान के परिणाम दूरगामी हों। इसका मतलब है कि यदि राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि किसी कारखाने अथवा स्वयं उसके नियन्त्रण वाले उद्योगों में विवादों के निपटारे के लिए उचित व्यवस्था है तो वह अधिनियम के सभी अथवा किसी प्रावधान को लागू न करने का एकतरफा निर्णय ले सकेगी। इस प्रकार सरकार हड़तालों पर पाबन्दी लगाने वाले अथवा न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय सम्बन्धी प्रावधानों को लागू करने के लिए चुन सकती है। अर्थात् सरकार प्रशासन द्वारा चुने गये व्यक्ति के फैसलों को उस उद्योग के समस्त विवादों में अन्तिम निर्णायक बना सकती है। इस प्रकार कोई भी हड़ताल गैरकानूनी होगी।

इसका तात्पर्य यह है कि समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में हड़तालें गुप्त रूप से गैरकानूनी कर दी जायेंगी।

अनुचित श्रम व्यवहार

इसी प्रकार से “अनुचित श्रम व्यवहार” पर एक नया अध्याय V (सी) जोड़ा जा रहा है। इन “अनुचित श्रम व्यवहारों” की व्याख्या की गयी है तथा उन्हें एक सूची में दर्ज किया गया है। मजदूरों और मालिकों दोनों को ही एक नजर से देखने का ढोंग रचते हुए सूची में मालिकों तथा ट्रेड यूनियनों दोनों की तरफ से होने वाले अनुचित श्रम व्यवहारों की व्याख्या अलग-अलग की गयी है।

मालिक बच निकलेंगे

मालिकों की तरफ से होने वाले अनुचित श्रम व्यवहारों को लीजिये, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

१. “यूनियन के सदस्य बनने पर मजदूरों को सेवामुक्त करने अथवा बरखास्त करने की धमकी देना।” क्या कोई मालिक ऐसे कामों में व्यक्तिगत रूप से हाथ बंटाता है? इस तरह का दबाव दलालों के माध्यम से डलवाया जाता है। यदि न्यायालय में यह सिद्ध भी कर दिया जाय कि कुछ व्यक्तियों ने धमकी दी तो भी यह नहीं सिद्ध किया जा सकता है कि वह धमकी मालिक के इशारों पर दी गयी है क्योंकि मालिक को यह कहते देर न लगेगी कि धमकी देने वालों से उसका कोई वास्ता नहीं है।

अब जरा दूसरे अनुचित श्रम व्यवहार का जायजा लीजिये।

२. (अ) “किसी मालिक के द्वारा अपने मजदूरों की यूनियन संगठित करने में सक्रियता से रुचि लेना, और (ब) किसी मालिक के द्वारा पक्षपात करना अथवा बहुत सी यूनियनों में से किसी एक को फायदा पहुंचाना ।”

३. “मालिक समर्थक यूनियन गठित करना ।” क्या कोई मालिक खुले आम यह काम करता है । वह किसी और को इस काम के लिए लगायेगा और हरदम यह तर्क देगा कि उस यूनियन के संगठन से उसका कोई मतलब नहीं है ।

४. “किसी भी मजदूर के साथ भेदभाव करके किसी ट्रेड यूनियन की सदस्यता में बढ़ावा देना अथवा इसके प्रतिकूल करना । क्या इस भेदभाव को अदालत में सिद्ध किया जा सकता है ? मालिक सदैव यह तर्क देगा कि भेदभाव-पूर्ण पदोन्नति अथवा लाभ योग्यताओं के आधार पर दिया गया है न कि किसी अन्य आधार पर ।”

५. “(अ) दमन के द्वारा, (ब) मालिक के अधिकारों का अच्छी नीयत से नहीं बल्कि बुरी नीयत से प्रयोग करके, (स) भूठे अथवा गढ़े गये प्रमाणों के आधार पर फौजदारी मुकदमे में फंसाकर अथवा इसी प्रकार के अस्पष्ट बहानों के आधार पर किसी मजदूर को सेवा-मुक्त करना ।”

क्या कोई मालिक इतना मूर्ख हो सकता है कि वह किसी मजदूर को भूठे फौजदारी मामले में फंसाएगा और स्वयं भूठे प्रमाण तैयार करेगा ?

६. “हड़ताल तोड़ने के तरीके के रूप में” मजदूरों द्वारा किये जा रहे किसी स्थाई प्रकृति के कार्य को समाप्त करके उसे ठेकेदारों को देना ।”

मालिक, जहां कहीं भी सम्भव होगा स्थायी कार्यों को व्यवस्थित रूप से खतम करेंगे । यदि कहीं स्थाई कर्मचारियों में कोई असन्तोष है तो वह हड़ताल शुरू होने से पहले ही उस कार्य को ठेकेदार को दे देगा तथा हड़ताल तोड़ने के उपाय के रूप में की गई कार्यवाही का सवाल कभी उठेगा ही नहीं ।

बाकी सब भी इसी प्रकार के हैं । इनमें से किसी भी अनुचित श्रम व्यवहार को अदालत में सिद्ध नहीं किया जा सकता है ।

चूंकि किसी भी मामले में कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी और मालिक के अनुचित श्रम व्यवहार से प्रभावित कोई भी यूनियन सीधे अदालत में नहीं जा सकती है; अतः यह सब मात्र धोखा के सिवा और कुछ भी नहीं है ।

और मजदूर दण्डित किये जाएंगे

दूसरी तरफ मजदूरों और उनकी ट्रेड यूनियनों की तरफ से होने वाले अनुचित श्रम व्यवहार इसके ठीक विपरीत हैं । सबसे पहला मुद्दा ही बहुत आश्चर्यजनक है :

१. “इस अधिनियम के अन्तर्गत गैरकानूनी घोषित किसी भी हड़ताल को,

परामर्श देना, सक्रिय समर्थन देना अथवा उकसाना” — यह अच्छी तरह से मालूम है कि आवश्यक सेवा अधिनियम के अन्तर्गत व्यावहारिक रूप से लगभग सभी उद्योगों में हड़तालें पहले ही गैरकानूनी हो चुकी हैं। इस प्रकार से इस तरह के उद्योगों में हड़ताल संगठित करने वाली कोई भी यूनियन स्वतः ही अनुचित श्रम व्यवहार की दोषी हो जाती है।

यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में विचार व्यक्त किया है कि कोई हड़ताल कानून की नजरों में गैरकानूनी होते हुए भी न्यायसंगत हड़ताल हो सकती है और उसी आधार पर मजदूरों को तथाकथित गैरकानूनी हड़ताल के समय का पूरा वेतन दिये जाने का आदेश दिया है। परन्तु अब तो जायज हड़तालों पर भी भयानक परिणामों के साथ पाबन्दी लगायी जा रही है।

२. “ट्रेड यूनियन अथवा उसके कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह से धरना देना कि गैरहड़ताली मजदूर कारखाने में न घुस सकें।”

प्रशासन पुलिस अधिकारियों, प्रशासकीय अधिकारियों और यहां तक कि मजदूरों से इस तरह के बहुत सारे प्रमाण दे सकते हैं। वे किसी भी मजदूर को घूस देकर यह कहलवा सकते हैं कि उसे कारखाने में घुसने से रोका गया था।

३. “भूगड़ालू कार्यवाहियां करना, बढ़ावा देना, उकसाना अथवा जान-बूझकर धीमे काम करना, काम के घण्टों के बाद कारखाने के अन्दर धरना देना अथवा किसी प्रशासकीय अधिकारी या कर्मचारी का घेराव करना।”

४. मालिक अथवा प्रशासकीय अधिकारियों के निवास पर प्रदर्शन करना इन पर टिप्पणी करने की जरूरत ही क्या है। ये तो मात्र उदाहरण हैं। सभी मद इसी तरह के हैं। इस विधेयक के प्राविधानों के तहत इन प्रमाणित की जा सकने वाली कार्यवाहियों के लिए न केवल ट्रेड यूनियनों दण्डित और अपंजीकृत की जा सकती हैं बल्कि पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य आदि नेतागण स्वतः पदमुक्त हो जायेंगे तथा उन्हें छः महीने की कैद भी हो सकती है। और भी, इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का दोषी कोई भी व्यक्ति आजीवन देश में किसी भी ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी नहीं बन सकता है। इस प्रकार यह विधेयक जुझारू ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व को उनसे अलग करने का प्रयास करता है। इस विधेयक में एकमात्र अच्छी बात यह है कि यदि किसी मामले में न्यायाधिकरण अथवा न्यायालय मजदूरों को पुनः काम पर लेने का आदेश दिया हो परन्तु मालिक उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करके उक्त आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश हासिल कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसे मामले के निपटारे तक मजदूरों का पूरा वेतन देना होगा।

परन्तु इस प्राविधान का क्या उपयोग हो सकता है जब कि सभी जुझारू ट्रेड यूनियनों गैरकानूनी हो जायेंगी तथा उनके नेता उन्हें नेतृत्व प्रदान करने से

रोक दिये जायेंगे । इस प्रकार सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि इस धारा का मजदूरों के लिए कोई खास उपयोग नहीं होगा । क्योंकि मालिकों की जीहुजूरी करने वाली यूनियनों से दमन के ऐसे मामलों में हस्तक्षेप की कोई आशा नहीं की जा सकती है, उल्टे वे तो मालिकों से सांठ-गांठ करके जुझारू कार्य-कर्ताओं की सेवा-निवृत्ति कराने की ही कोशिश करेंगी ।

ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक हमें क्या देता है ?

ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक दावा करता है कि यूनियनों की बहुतायत को कम करने का प्रयास इस विधेयक के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है । मजदूर वर्ग की फूट पर सरकार द्वारा बहाये जा रहे घड़ियाली आंसुओं को कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है, यदि उसे मात्र इतना याद हो कि यह कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के आशीर्वाद से इंटक नाम से एक विरोधी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन का गठन करके उस वक्त तक देश के एकजुट मजदूर आन्दोलन में तोड़-फोड़ की थी, और इस पूरे दौर में कांग्रेस सरकारें इंटक यूनियनों को राज्यसत्ता का संरक्षण प्रदान करने तथा उन्हें बढ़ावा देने की भरपूर कोशिशें करती रही हैं । सच्चाई तो यह है कि पिछले कुछ वर्षों से तमाम ट्रेड यूनियनों संयुक्त संघर्षों में एकसाथ आ रही हैं और यह प्रक्रिया निश्चित रूप से मजदूर वर्ग की बहुत बड़ी एकता को जन्म देगी । परन्तु एकता की यह प्रक्रिया, सरकार की नीतियों और मजदूर वर्ग पर हमलों के खिलाफ मजदूर वर्ग के एकजुट संघर्षों पर आधारित है । यह ऐसी एकता है जिससे सरकार बुरी तरह से भयभीत है और यूनियनों की बहुतायत को कम करने के बहाने इसे कुचलने का प्रयास कर रही है ।

मान्यता केवल जांच के द्वारा

प्रतिनिधि यूनियन के रूप में मान्यता श्रमायुक्त अथवा इसी काम के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा यूनियन की सदस्यता की जांच-पड़ताल करने के बाद दी जायगी । अनुभव ने यह दिखाया है कि ये जांच अधिकारी पूर्ण-रूपेण सरकार के साथ सहयोग करेंगे तथा सरकार के आदेशों के मुताबिक ही काम करेंगे । और यह भी ज्ञात है कि बहुत-सी यूनियनें प्रशासन की मदद से अपनी सदस्यता बढ़ा लेती हैं । पिछले तमाम वर्षों से इंटक यूनियनों को इसी आधार पर मान्यता दी जाती रही है ।

फिर भी जहां कहीं पर भी कारखाने के समस्त मजदूरों से गुप्त मतदान लिया गया वहां पर बहुत-सी इंटक यूनियनों का दावा और उस दावे पर आधारित मान्यता, यहां तक कि सरकारी अधिकारियों द्वारा जांच किये जाने के

बावजूद, भूठी पायी गयी। इन मतसंग्रहों के परिणाम दिखाते हैं कि मजदूरों में इंटक यूनियनों की तुलना में दूसरी यूनियनों को प्रतिनिधि के रूप में चुना।

सरकार गुप्त मतसंग्रह से भयभीत है

यह इस परिस्थिति के कारण है कि कई वर्षों से इंटक को छोड़कर बाकी सभी ट्रेड यूनियन केन्द्र गुप्त मतदान के आधार पर यूनियन के प्रतिनिधि चरित्र का निर्णय किये जाने की मांग करते रहे हैं। यह इंटक यूनियन ही है जो कि गुप्त मतदान की इस उचित और न्यायसंगत व्यवस्था का विरोध करती रही है, क्योंकि यह इससे डरती है।

जनता पार्टी के शासन के दौरान जब इन्दिरा कांग्रेस अधिकांश प्रदेशों में सत्ता से अलग हो गयी तब इंटक यूनियन ने खुले रूप में यह घोषणा की थी कि वह गुप्त मतदान का नियम अपनाये जाने का विरोध नहीं करेगी। परन्तु आज इन्दिरा कांग्रेस के सत्ता में वापस आने के साथ ही इंटक ने अपना सुर बदल दिया है और पुनः गुप्त मतदान का दृढ़ विरोध करने की पुरानी स्थिति पर पहुँच गयी है।

बहुत-से प्रबुद्ध मालिकों ने ऐसी यूनियनों के साथ समझौता करने की व्यर्थता को महसूस कर लिया है जो यद्यपि वास्तव में मजदूरों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती हैं, परन्तु सरकार ने उन्हें प्रतिनिधि होने का प्रमाणपत्र दे रखा है। अभी हाल में नवल टाटा ने जो कि बड़े औद्योगिक घरानों के एक गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं गुप्त मतदान की व्यवस्था का खुलकर जोरदार समर्थन किया है। जीवन का अनुभव यह बताता है कि इस तरह की यूनियनों कोई भलाई नहीं कर सकती हैं। ठीक इसी प्रकार आंध्र प्रदेश की सरकार पिछले पाँच वर्षों से गुप्त मतदान के तरीके को अपना रही है। जनता शासन के दौरान यह प्रक्रिया भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स तथा हिन्दुस्तान फोटो फिल्म आदि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में भी अपनायी गयी और उसके बहुत ही अच्छे नतीजे निकले हैं।

इस धोखेबाजी को बन्द करो

सदस्यता की जाँच करके मान्यता देने के धोखे का सबसे स्पष्ट उदाहरण बम्बई के ढाई लाख कपड़ा मिल मजदूरों की पाँच माह पुरानी शानदार हड़ताल में देखा जा सकता है। मान्यता-प्राप्त इंटक यूनियन के नेता मजदूरों की एक सभा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मजदूरों ने उनकी सलाह मानने से इन्कार करके उनको नामंजूर कर दिया है। कम-से-कम लोकतांत्रिक विवेक वाला भी कोई भी सज्जन व्यक्ति इन परिस्थितियों में मजदूरों के फैसले को स्वीकार करेगा और खुलकर कहेगा कि इन हालात में वे मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं

बल्कि मर्यादा और लोकतांत्रिक विवेक इंटक-नेताओं से बहुत दूर हैं ।

जुभारू यूनियनों को तोड़ने का षड्यंत्र

इस विधेयक की सबसे घिनौनी बात यह है कि यह “औद्योगिक विवाद” के बरखिलाफ ट्रेड यूनियन विवाद पैदा करता है । एक ही ट्रेड यूनियन के अन्दर अथवा दो ट्रेड यूनियनों के बीच विवाद को ट्रेड यूनियन विवाद कहते हैं । ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को जहां कहीं भी किसी यूनियन में अथवा दो यूनियनों के बीच इस तरह के विवाद की आशंका हो उसे हस्तक्षेप करने तथा स्वयं मध्यस्थ बन जाने का अधिकार प्राप्त है तथा उसके फैसले के खिलाफ अपील केवल सरकार को ही हो सकती है । यह विवाद क्यों खड़ा किया गया है, इसका अनुमान बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है । जुभारू ट्रेड यूनियनों के खिलाफ तमाम प्रावधान होने के बावजूद कभी-कभी उन्हें प्रतिनिधि यूनियन के रूप में मान्यता देने से इन्कार करना असम्भव हो जाता है । ऐसे मामलों में सरकार और प्रशासन आसानी से कुछ मजदूरों को “विवाद” पैदा करने के लिए लगा सकते हैं । तब रजिस्ट्रार हस्तक्षेप करके मध्यस्थता करते हुए यह फैसला दे सकता है कि जो पदाधिकारी चुने गये हैं वे वास्तव में चुने हुए पदाधिकारी नहीं हैं तथा प्रशासन की जीहुजूरी करने वालों को यूनियन का चुना हुआ पदाधिकारी घोषित कर सकता है ।

मजदूर इतने भोलेभाले नहीं हैं

यह देखा गया है कि इंटक अथवा अन्य यूनियनें अथवा जहां भी सरकार द्वारा जबर्दस्ती मान्यता दी गयी है, वे यूनियनें कोई भलाई नहीं कर सकीं । ऐसी यूनियनों के द्वारा किये गये समझौतों को, जो प्रायः मजदूरों की पीठ-पीछे किये जाते हैं, मजदूरों ने गैरकानूनी घोषित किये जाने के बावजूद लम्बी हड़ताल करके नामंजूर किये हैं । बहुत-से मामलों में, भारी दमन के बावजूद सरकार अथवा प्रशासन को संघर्ष का नेतृत्व करने वाली यूनियन अथवा यूनियनों से बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा है । बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों की मौजूदा हड़ताल मजदूरों के द्वारा ऊपर से थोपे गये नेतृत्व को अस्वीकार कर देने की कोई पहली घटना नहीं है ।

इंटक का कहना है कि गुप्त मतदान के परिणामस्वरूप मजदूर गैर जिम्मेदार तथा भाषणवाज नेताओं के द्वारा गुमराह किये जायेंगे इसीलिए जिम्मेदार ट्रेड यूनियनवाद को अवश्य बढ़ावा दिया जाना चाहिए । अतः गुप्त मतदान द्वारा यूनियन के प्रतिनिधि चरित्र का फैसला बहुत ही नुकसानदेह होगा ।

भारतीय मजदूर वर्ग की इससे बड़ी बदनामी की कल्पना तक नहीं की जा

सकती । भारतीय मजदूर इतना भोलाभाला नहीं है कि उसे लम्बे-लम्बे वायदों से बेवकूफ बनाया जा सके । अपने मित्रों तथा गद्दारों को पहचानने के लिए उसके पास काफी अनुभव है ।

यह वर्ग चेतना ही है जिसने इंटक नेताओं को गुप्त मतदान से इतना भयभीत और चौकन्ना कर दिया है कि वे गुप्त मतदान का विरोध कर रहे हैं ।

यही वर्ग चेतना ही है जिसके कारण सरकार एक साधारण जनतान्त्रिक मांग को स्वीकार करने से भी इन्कार कर रही है और उन तरीकों का इस्तेमाल कर रही है जिनसे वह अपनी नीतियों का समर्थन करने वाली यूनियनों को मजदूरों के ऊपर थोप सकती है ।

किशतों में अधिकारों को छीना जा रहा है

ये इन विधेयकों में सन्निहित मजदूर वर्ग विरोधी प्रावधानों में से कुछ है । परन्तु ये इतना प्रमाणित करने के लिए काफी हैं कि मौजूदा सरकार इन संशोधन विधेयकों के माध्यम से मजदूर वर्ग द्वारा ब्रिटिश हुकूमत से हासिल किये गये संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को छीन लेना चाहती है ।

यह बहुत ध्यान देने की बात है कि सरकार किस तरह से एक-एक करके मजदूरों के हकों को छीनने की कोशिश कर रही है ।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम

सबसे पहले बिना मुकदमा चलाये कैद रखने का अधिकार देने वाला राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आया । संसद में विधिवत वादा किया गया था कि यह अधिनियम केवल समाजविरोधी तत्वों के खिलाफ है तथा इसका प्रयोग ट्रेड यूनियनों तथा किसान नेताओं के खिलाफ नहीं किया जायगा । ठीक यही वायदा निरोधक नजरबन्दी कानून बनाते वक्त भी किया गया था । हर आदमी जानता है कि ये सब वायदे हवा में उड़ा दिये गये । इसी तरह निरोधक नजरबन्दी का अधिकार देने वाले अधिनियम की स्याही सूखने से पहले ही संसद में विधिवत दिये गये आश्वासन को तोड़ दिया गया और ट्रेड यूनियन व किसान नेताओं तथा राजनीतिक विरोधियों को सबसे पहले इस कानून का शिकार बनाया गया ।

आवश्यक सेवा अधिनियम

उसके बाद १४ उद्योगों को आवश्यक सेवा घोषित करने वाली सूची के साथ आवश्यक सेवा अधिनियम आया । इन अनुसूचित उद्योगों में कोई भी हड़ताल गैरकानूनी है । सरकार को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह जब और जैसे आवश्यक समझे किसी भी उद्योग को इस सूची में शामिल कर सकती है ।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

अब इसके बाद औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक लाया गया है जिसकी प्रमुख विशेषताओं पर हम ऊपर विचार कर चुके हैं।

सरकार मालिकों को दण्डित नहीं करती

और अब ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक जिसमें निहित प्रचंड अधिकारों तथा क्रूर दंड विधानों का विवरण हम ऊपर दे चुके हैं। क्या यह सरकार कम्पनियों के निदेशक मंडल के सदस्यों को जेल भेजने और उन्हें निदेशक अथवा अन्य किसी पद पर बने रहने से जीवन भर के लिए रोकने का साहस करेगी जैसा कि इसने ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के लिए विधान बनाया है? भारतीय रिजर्व बैंक तथा संसद की सार्वजनिक संस्थान समिति द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार हजारों करोड़ रुपये उन बहुत-सी कम्पनियों में बन्द पड़े हैं जिन्हें उनके प्रशासन ने लूट लिया है तथा उन्हें बन्द कर दिया है। वे मजदूरों के भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंशदान को भी निगल गये हैं। सरकार ने इन मामलों में क्या किया है। वास्तव में सरकारी अधिकारी तथा बैंक अधिकारी इन मामलों में निदेशकों के रूप में रहे हैं। इन बड़े घोटालों में गुप्त रूप से सहयोग करने के सिवा और वे क्या करते रहे हैं? क्यों, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। जो सरकार सार्वजनिक धन तथा मजदूरों की गाढ़ी कमाई, (भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा के लिए अंशदान) को हड़पने को उत्साहित करती रही है उससे उनके खिलाफ कार्यवाही करने की आशा की भी कैसे जा सकती है।

बाहरी व्यक्तियों पर प्रतिबन्ध

ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक ट्रेड यूनियनों के बाहरी (गैर कर्मचारी) पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी सदस्यों की कुल संख्या को २५ प्रतिशत तक कम करने का प्रयास करता है।

साधारणतः किसी भी यूनियन में बाहरी पदाधिकारियों की संख्या २५ प्रतिशत यहां तक कि १५ प्रतिशत भी नहीं होती है। लेकिन सवाल बुनियादी सिद्धान्तों का है। यह सम्बन्धित मजदूरों का जनतान्त्रिक अधिकार है कि वे इस विषय पर स्वयं निर्णय लें, सरकार का जनतान्त्रिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का कोई काम नहीं है। इस देश के मजदूर बाहरी व्यक्तियों की सेवाएं हासिल करने के लिए हैं क्योंकि यहां के कानून इतने भारी-भरकम तथा उलझे हुए हैं कि एक साधारण पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी उन्हें नहीं समझ सकता है।

इस सबसे अधिक मूल कारण तो यह रहा है कि गैर आज्ञाकारी पदाधिकारी, जो कि कर्मचारी होते हैं, अक्सर इस या उस बहाने से बर्खास्त कर दिये जाते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रतिबन्ध का उद्देश्य मालिकों और सरकार को जीहुजूरिए नेतृत्व वाली यूनियनों को बढ़ावा देने में मदद करना है।

मालिकों को छूट

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, चिकित्सालयों, शिक्षण संस्थाओं, तथा धार्मिक संस्थाओं को 'उद्योग' शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं करता है। वह सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले कि "ये संस्थाएं भी उद्योग हैं और इन पर भी अधिनियम लागू होता है" के बाद मालिकों की मांग पर किया गया है। इस फैसले का आशय यह है कि इन संस्थाओं के मजदूरों तथा कर्मचारियों को ठीक वही अधिकार है जो कि अन्य मजदूरों तथा कर्मचारियों को प्राप्त है।

चिकित्सालय और अन्य संस्थाएं

जैसा कि पहले ही कहा गया है, सरकार ने औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक के प्राविधानों के द्वारा इन संस्थानों को विशेष रूप से अधिनियम के दायरे से बाहर रखा है।

हड़तालों पर रोक

अब सरकार एक कदम और आगे जा चुकी है, और इससे चिकित्सालय और अन्य संस्थान (विवाद निपटारा) विधेयक के प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सालयों, शिक्षण संस्थाओं तथा धार्मिक, सामाजिक एवं जनहितकारी सेवाओं में लगे हुए किसी संगठन के द्वारा पूर्णरूपेण अथवा आंशिक स्वामित्व अथवा प्रबन्धन वाली संस्थाओं में हड़तालों पर पूर्ण रोक लगा दी है। खादी और ग्रामोद्योग में लगी संस्थाएं, तथा शोध अणुशक्ति और अन्तरिक्ष सम्बन्धी कार्य करने वाले समस्त सरकारी विभागों द्वारा संचालित गतिविधियों सहित सरकार की राजकीय कार्यवाहियों से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों में लगी संस्थाएं भी इसमें शामिल हैं। इस अन्तिम लम्बी परिभाषा का मतलब है सभी सरकारी नौकर और सेना के युद्धेतर कर्मचारी जैसे कार्यालय के कर्मचारी तथा सड़क भवन एवं पुल-निर्माण के काम में लगे मजदूर और कर्मचारी आदि।

लूट की छूट

यह सब को अच्छी तरह से मालूम है कि इस धार्मिक संस्थानों अथवा सामाजिक और परोपकारी उद्देश्य के लिए संचालित तथाकथित प्रतिष्ठानों का

किस तरह से गलत तरीके से प्रबन्ध किया जा रहा है तथा प्रबन्धकों के द्वारा लूटा जा रहा है। यह भी अच्छी तरह से ज्ञात है कि बड़े औद्योगिक घरानों ने अपने व्यापार का कागजी ट्रस्ट बना रखा है और जो इस सम्पत्ति का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि किस प्रकार से तथा-कथित ट्रस्टियों के स्वामित्व वाली हजारों एकड़ जमीन से होने वाली आमदनी का उपभोग यही तथाकथित ट्रस्टी करते हैं जब कि उन जमीनों का वास्तविक प्रबन्ध महलों, मठाधीशों तथा बड़े भूस्वामियों के द्वारा किया जाता है। यह प्राविधान इस तरह के और भी ट्रस्टों के निर्माण के लिए प्रेरणा का काम करेगा।

एक चेतावनी

जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल है, लोकतंत्र की शपथ खाने और उसे अमल में लाने की बात करने वाली इस सरकार को याद दिलाना चाहिए कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इंग्लैण्ड में क्या हुआ था। जहां तक इंग्लैण्ड का सवाल है वहां सर विन्स्टन चर्चिल का उदय युद्धनायक के रूप में हुआ था।

परन्तु युद्ध के दौरान जब वे प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के संगठन को ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध होने पर रोक लगाने वाला एक कानून बनाया था। युद्ध के तुरन्त बाद होने वाले आम चुनावों में ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने उनके इसी एकमात्र काम को ही मुद्दा बनाया था और चर्चिल की पार्टी चुनावों में बुरी तरह से पराजित हो गयी थी। लेबर पार्टी की सरकार ने शीघ्र ही चर्चिल के इस कानून को रद्द कर दिया। ब्रिटेन, फ्रांस तथा समस्त पश्चिमी देशों में सरकारी कर्मचारियों व शिक्षकों की यूनियनों को हर स्तर पर तथा अस्पतालों के कर्मचारियों—वास्तव में समस्त संस्थानों के मजदूरों और कर्मचारियों को संगठन बनाने और हड़ताल सहित इससे जुड़े समस्त अधिकार प्राप्त हैं तथा किसी भी उद्योग में किसी भी मजदूर के लिए इन अधिकारों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

भारत सरकार के श्रममंत्री ने लोकसभा में औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक पेश करते हुए वास्तव में कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरूपित—किसी भी व्यवसाय के उद्योग होने की योग्यता सम्बन्धी सिद्धान्तों को लागू करना है। इस दावे का भूठापन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निम्नांकित उद्धरणों से स्पष्ट हो जायगा।

“एस० २. (जे०) में परिभाषित “उद्योग” का बहुत ही व्यापक अर्थ है।

वहां जहां पर, (I) व्यवस्थित रूप से काम होता हो, (II) जिसका

संगठन मालिक और मजदूर के सहयोग से किया गया हो (सीधा और महत्वपूर्ण तत्व, निराधार है), (III) जहां मानवीय जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन अथवा विवरण होता हो, यहां तक कि यदि आध्यात्मिक अथवा धार्मिक कार्यों में बड़े पैमाने पर भोजन अथवा प्रसाद का निर्माण होता हो तो, ये सब उद्योग की परिभाषा के अन्तर्गत शामिल समझे जायें। व्यवसाय चाहे सार्वजनिक क्षेत्र का हो अथवा संयुक्त और निजी क्षेत्र का हो, इसमें मुनाफा अथवा लाभकारी उद्देश्यों का होना या न होना कतई महत्वपूर्ण नहीं है। प्रमुख और निर्णायक तत्व तो केवल काम की प्रकृति और विशेष रूप से मालिक और मजदूर सम्बन्ध हैं। कोई भी व्यापार अथवा कारोबार भाव इतने से व्यापार अथवा कारोबार के दायरे से बाहर नहीं हो जायगा क्योंकि उसको जनहित के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।”

परिणामतः, (I) व्यवसाय, (II) क्लब, (III) शिक्षण संस्थाएं तथा सहकारिताएं, (IV) शोध संस्थान, (V) धर्मार्थ कार्य, (VI) अन्य समान उद्यम, यदि ऊपर दी गयी तीनों शर्तों को पूरा करते हों तो उन्हें उद्योग की परिभाषा से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

यदि सामान्य उद्यमों में जहां कर्मचारी न रखे जाते हों बल्कि उस उद्यम के कर्मचारीरहित मूल चरित्र को प्रभावित किये बिना कभी-कभी कुछ कर्मचारी किराये पर रखे जाते हों तो ऐसी स्थिति में व्यवसायों, क्लबों, सहकारिताओं, यहां तक कि गुरुकुल और छोटी शोधशालाओं की सीमित श्रेणी को उद्योग के दायरे से मुक्त किया जा सकता है।

इन्ही कसौटियों को लागू करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि चिकित्सालय, शिक्षण संस्थाएं तथा शोध संस्थाएं आदि सभी, जहां कर्मचारी काम करते हैं तथा मालिक मजदूर सम्बन्ध कायम हैं, इस अधिनियम के तहत उद्योग हैं।

एकमात्र अपवाद जो कि ऊपर उद्धृत अन्तिम पैराग्राफ में दिया गया है वह यह है कि जहां इन संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या बिलकुल नगण्य है तथा बाकी सभी व्यक्ति लगाव अथवा सामाजिक सेवा की भावना से अपनी सेवाएं देते हों। मजदूरों पर आक्रमण करने के उद्देश्य से यह सरकार यहां तक कि देश की सबसे बड़ी अदालत के प्रकाशित फैसलों को भी बड़ी बेशर्मी के साथ झुठलाने की किस सीमा तक पहुंच चुकी है, यह श्रममंत्री के इस बयान कि यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरूपित सिद्धान्तों तथा कसौटी के अनुरूप है, से साफ हो जाता है।

ट्रेड यूनियन अधिकारों के खिलाफ षड्यंत्र

सरकार इससे पूर्व भी अपने पुराने औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के लिए संगठित मजदूर वर्ग के जोरदार विरोध का सामना कर चुकी है। विशाल रैलियां, संसद पर ५ लाख मजदूरों का मार्च तथा एक दिन की देशव्यापी औद्योगिक हड़ताल इस बढ़ते विरोध के प्रमाण-चिह्न हैं।

पिछले तीन महीनों के दौरान मजदूर वर्ग सहित पूरा देश, पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के चुनावों के लिए चिन्तित रहा। हमारे प्रत्येक सवाल इन्हीं से जुड़े हुए थे जैसे कि, ये चुनाव होंगे भी या नहीं, कांग्रेस आई चुनावों को रोकने के लिए कौन से दांव-पेंच अपनायेगी और हम उसका सामना कैसे करेंगे तथा चुनावों में किस तरह से पेश आयेंगे आदि।

ठीक इसी समय में सरकार ने इन विधेयकों को पेश किया है।

इसके पहले सरकार मजदूरों के लिए एक सम्पूर्ण विधेयक लाने की बात करती रही है। ट्रेड यूनियन आन्दोलन के खिलाफ अपनी नीतियों को लागू करने के लिए इसने टुकड़े-टुकड़े करके कानून बनाना ज्यादा उचित समझा है।

जनता विधेयक से भी बदतर

जनता सरकार भी औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक लाई थी। इन्दिरा कांग्रेस सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों तथा इन विधेयकों में प्रस्तावित प्राविधानों के माध्यम से मजदूर वर्ग के समस्त अधिकारों को समाप्त किये जाने की साजिश से यदि उसकी तुलना की जाय तो यही लगेगा कि उसके प्राविधान इतने कठोर नहीं थे।

एच० एम० एस०, एच० एम० पी० तथा बी० एम० एस० को इस बात का श्रेय दिया ही जाना चाहिए कि एक तरफ उनके नेता जनता सरकार में शामिल थे परन्तु फिर भी उन्होंने उक्त विधेयक का दृढ़ता से विरोध करने के लिए सीटू तथा इंटक से हाथ मिलाया था। परिणामतः जनता सरकार ने विधेयक को रोक दिया।

इंटक नेतृत्व की उलटवासियां

यह महत्वपूर्ण बात है कि इंटक भी उक्त विधेयक के विरोध में शामिल हुई थी और उसके तत्कालीन अध्यक्ष श्री ए० पी० शर्मा विधेयक के खिलाफ वोट क्लब पर हुए प्रदर्शन में शामिल हुए तथा विधेयक के खिलाफ खूब गरजे।

वह रैली केवल विधेयक के सवाल को लेकर संयुक्त मोर्चे की तरफ से हो रही थी, इस बात को नजर अन्दाज करते हुए श्री शर्मा ने उस मौके का फायदा

अपनी पार्टी के हितों के लिए उठाया और कहा कि मजदूर वर्ग न्याय और अधिकारों की आशा तभी कर सकता है जब कि श्रीमती गान्धी सत्ता में आयें। सार्वजनिक मंच का दुरुपयोग करने के लिए श्रोताओं ने हू-हू करके उनका बहिष्कार किया तथा यहां तक कि उन्हें भीड़ से बचाना पड़ा क्योंकि भीड़ मंच की तरफ बढ़ने लगी थी।

आज इंटक और इसके नेतागण इन क्रूर विधेयकों का समर्थन करते हैं अथवा मौन धारण कर लेते हैं। यही इनका ईमान-धर्म है। इन नेताओं के लिए इन्दिरा गान्धी की चापलूसी ही प्राथमिक है।

फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि हजारों-हजार मजदूरों ने इंटक यूनियनों में होने के बावजूद विरोध-सभाओं तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है।

पूँजीवादी रास्ते का परिणाम

स्वभावतः यह सवाल उठता है कि आजादी के ३५ वर्षों के बाद भारत सरकार मजदूरों द्वारा विदेशी हुकूमत से हासिल लिए गये उनके हकों को क्यों छीन लेना चाहती है तथा उन्हें औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व ब्रिटेन की जैसी शताब्दियों पुरानी परिस्थितियों में क्यों ढकेल देना चाहती है।

सच्चाई तो यह है कि भारत सरकार प्रारम्भ से ही “कोआपरेटिव कामन-वेल्थ”, “समाजवादी ढर्रे का समाज,” और अन्ततः “समाजवाद”, जैसे छद्म नारे अपना कर, सामन्ती भूस्वामित्व को खतम करने के बजाय उनसे समझौता करके तथा साम्राज्यवादी विदेशी पूँजी और बहुराष्ट्रीयों के साथ सहयोग करते हुए लगातार पूँजीवाद के निर्माण में लगी हुई है। पूँजीवाद और साम्राज्यवाद अपने पतन के दौर में प्रवेश कर चुके हैं और साम्राज्यवादियों ने भारत की पूँजी, मशीनरी तथा तकनीक सम्बन्धी जरूरतों से फायदा उठाने का सुअवसर हासिल कर लिया है। भारत साम्राज्यी हुकूमतों तथा अमरीकी प्रभुत्व वाली विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से भारी कर्जों पर निर्भर रहने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा मजबूर हो गया है।

अ० मु० को० और विश्व बैंक के आदेश

१९३० के दौर को याद दिलाने वाले गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा साम्राज्यवाद और उसकी एजेंसियां—जिनके पास भारत सरकार भीख मांगने के लिए जाती है—वे अभी कर्ज देने के लिए चक्कर कटवाती हैं तथा कड़ी-से-कड़ी शर्तें लगाती हैं। वे अपने संकट पर कुछ हद तक काबू पाने के उद्देश्य से ज्यादा-से-ज्यादा मुनाफा ऐंठने के लिए गुलाम मजदूर चाहते हैं। भारत सरकार इन दबावों का विरोध करने में असमर्थ है और उन्हें स्वीकार कर लेती है। ये

मजदूर वर्ग विरोधी तमाम कदम इन्हीं, अ० मु० को, विश्व बैंक तथा बहुराष्ट्रीयों के आदेशों के सीधे परिणाम हैं।

नवउपनिवेशवाद का फन्दा

अतः न केवल हड़ताल करने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार दांव पर लगा है बल्कि सरकारी हस्तक्षेप के बिना स्वतन्त्र रूप से संगठन बना सकने का मूल अधिकार ही दांव पर लगा हुआ है। और इससे भी अधिक कठिन संघर्षों तथा बलिदानों से हासिल की गयी आजादी और स्वतन्त्रता ही खतरे में पड़ गयी है। नवउपनिवेशवाद का फन्दा नजदीक-से-नजदीक आता जा रहा है। जो वर्ग उस खतरे के खिलाफ संघर्षों को नेतृत्व दे सकता है उसे ही कुचला जा रहा है।

एकजुट होकर प्रतिरोध करो

इन्हीं क्रूर आक्रमणों के खिलाफ भारतीय मजदूर वर्ग को एकजुट होना तथा संघर्ष करना है। जनतन्त्र तथा देश की आजादी में रुचि रखने वाले सभी लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वे संगठित हों और इन क्रूर नीतियों के खिलाफ संघर्ष करें।

यदि प्रयास किया जाय तो अपनी मौजूदा सांगठनिक सम्बद्धता के बावजूद हर मजदूर को यहां तक कि इंटक यूनियनों के मजदूरों को भी जनतन्त्र के लिए संघर्ष में खींचा जा सकता है। क्योंकि जनतन्त्र और जनता पर होने वाले हमलों की शुरुआत हर जगह मजदूर वर्ग पर हमले के साथ होती है।

यह अवश्य समझना चाहिए कि ये कदम बहुराष्ट्रीयों, बड़े इजारेदार घरानों, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के आदेशों के अनुसार उठाये जा रहे हैं। परनिर्भरता की इन नीतियों का जारी रहना हमारे देश को पुनः गुलाम बनाने की तरफ ले जायेगा।

अतः यह लड़ाई केवल मजदूर वर्ग के अधिकारों तथा हमारी जनता के लिए जनतन्त्र की ही लड़ाई नहीं है बल्कि यह हमारी आजादी तथा स्वतन्त्रता की लड़ाई है। अतः सम्पूर्ण मजदूर वर्ग को लामबन्द करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। एकजुट मजदूर वर्ग सम्पूर्ण जनसमुदाय को प्रेरित कर सकता है तथा इस प्रक्रिया को न केवल रोक सकता है बल्कि उसे उलट भी सकता है।

